

फर्द अहकाम

बजरंगसिंह बनाम अलाबन्धु

मान न्यायालय

केस संख्या 44/2016

T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/8/17	प्रसाहनिंग काफ़ीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही के दिनांक 9/10/17 को पेश हो। सरिता	
	09/10/17	क. न. उप. वरु हेतु समय-बाधे के प्रभाव की वजह से वरु दिनांक 20/11/17 को पेश हो।	
	20/11/17	आज्ञा द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से प्रभाव की वजह से आज्ञा नुसार दिनांक 18/12/17 को पेश हो।	
	18/12/17	आज्ञा द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से प्रभाव की वजह से आज्ञा नुसार दिनांक 30/01/18 को पेश हो।	
	30/01/18	क. न. उप. वरु हेतु समय-बाधे के प्रभाव की वजह से वरु दिनांक 05/3/18 को पेश हो।	
	05/3/18	क. न. उप. वरु हेतु समय-बाधे के प्रभाव की वजह से वरु दिनांक 10/4/18 को पेश हो।	
	10/4/18	वर्किलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से प्रभाव की वजह से आज्ञा नुसार दिनांक 27/4/18 को पेश हो।	
	27/4/18	प्रसाहनिंग काफ़ीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही के दिनांक 27/6/18 को पेश हो।	
	27/6/18	आज गट प्रजावती न्याय आपके कार कम्प कोर्ट ग्राम चोकलाई में पेश हुई। क. न. उप. प्रकाश में सुना गया तथा प्रजावती का आवेदन मंजूर किया गया।	



फर्द अहकाम

कमरेगासीट बनाम कैलाश चंद

Presented
Adv.

नाम न्यायालय

केस संख्या 47/16

पृ. 1

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>पत्रावली काफ़ी समय से बंद ना. हेतु (लाम्बित चाली) आ रही है। मूल काद घोषणा, दुकली नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा का ही प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19/10/16 को अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है उक्त अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा को ताकत का मूल काद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19/10/16 को ताकत का मूल काद कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फ़ैल हो चुका है नज़र जम्मा से कम है तथा मूल काद के साथ रहे।</p>	

सहायक कलक्टर
चौम (जयपुर)